स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक : प.4(1-आर)( )स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 237 दिनांक : 22.06.2022
30

कार्यालय आदेश

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर, द्वारा जारी आक्षेप संख्या 37 जो विश्वविद्यालय की इकाइयों द्वारा जांच दल के समक्ष प्रस्तुत लेखा अभिलेखो के आधार पर आलौच्य अवधि 2019-20 से संबन्धित है। उक्त आक्षेप में विश्वविद्यालय में माल एवं सेवाओं के उपापन में अनुबन्ध निष्पादन का अभाव एवं अन्य अनियमितता एवं वसूली संबन्धित अंकेक्षण टिप्पणी की गई है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

अतः विश्वविद्यालय इकाई के समस्त कार्यालयाध्यक्षों / डीडीओ को माल एवं सेवाओं के उपापन में अनुबन्ध निष्पादन के संबंध में एतद द्वारा निर्देश जारी किये जाते है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम के नियम 76 एवं राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 37(3) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.12.1998 के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे ताकि उक्त नियमों की विश्वविद्यालय में भविष्य में पूर्ण पालना की जा सके।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/ईओ/डीडीओ।
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
5. प्रभारी CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वि.वि. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

आक्षेप सं. 37 :–

माल एवं सेवाओं के उपापन में अनुबन्ध निष्पादन का अभाव एवं अन्य अनियमितताएं एवं वसूली राशि 19000/– रूपये :–

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 27(4) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 76 के अनुसार कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से लागू होगी जिसको निविदा स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है। सफल बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में निर्धारित समयावधि के भीतर या जहां बोली दस्तावेजों में कोई समयावधि निश्चित नहीं की गई हो वहां उस तारीख से 15 दिवस के भीतर जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 76(4) के अनुसार बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर निर्धारित मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादन करने के लिए कहा जायेगा। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–II के नियम 68 के अनुसार प्रारूप एस. आर–17 या विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में अनुबन्ध (करार) निष्पादन किया जाना चाहिए।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प.2(20)वित्त/कर–अनु./97 दि. 16.12.98 के द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालय, निगमों एवं स्वायतशाषी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थओं समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनीज नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया हुआ है। लोक अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित किया जाता है जो कि अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित (Not duly stamped) है तो ऐसा कार्य राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 73 के तहत अपराध है और 5000/– रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय है। महा निरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर के आदेश क्रमांक एफ.7(39)जन/बजट/2016/पार्ट/5145 दि. 24.05.16 के अनुसार वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट के अनुबन्ध पर कॉन्ट्रेक्ट मूल्य का 0.25 प्रतिशत अधिकतम 15000/– रूपये एवं सामान्य इकरारनामा पर 500/– रूपये की स्टाम्प ड्यूटी लागू है।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों की आलौच्य अवधि की जांच में पाया गया कि राशि 100000/– रूपये अधिक के माल एवं सेवाओं के उपापन, दर संविदाओं एवं संकर्मो के आपूर्ति आदेशों/कार्यादेशों में अनुबन्ध निष्पादन एवं निर्धारित राशि के सटाम्प लगाने का अभाव पाया गया जिसका विवरण अनूसूची सं. 07 में दिया गया है।

अनुसूची सं. 07 के अनुसार राशि 19000/– रूपये की वसूली सम्बन्धित संवेदकों कर राशि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में बैंक ड्राफ्ट या मद 0030–02–103–(01)–800–02–03 में ई–ग्रास चालान से जमा करावें। भविष्य में समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश जारी कर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 76 एवं राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 37(3) एवं वित्त विभाग राज. की अधिसूचना दि. 16.12.98 की पालना करावें।

प्रकरण वित्त नियंत्रक स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के ध्यान में लाया जाता है।

राम प्रसाद तिवाड़ी (प्रभारी)
(सहायक लेखाधिकखरी ग्रेड–I)

जीतेश कुमार यादव
(कनिष्ठ लेखाकार)